अंचल कार्यालय फतेहपुर

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

राजस्व विविध वाद सं0 - 01/22-23

09/09/2022

अभिलेख उपस्थापित।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के राजस्व विविध वाद सं0– 48/2016–17 का ऑनलाईन आवेदन पत्र (1) शिखर मराण्डी (2) राजेश मोदी मौजा–अंगुठिया के टोला–संगाजोरी SPT Act 1949 की धारा 23 (I) के तहत् बदलेन के स्वीकृत प्राप्त की गयी है। उक्त पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें।

अभिलेख दिनांक 14.09.22 को उपस्थापित करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी
फतेहपुर

09/09/2022
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

14/09/22

अभिलेख उपस्थापित।

संबधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। राजेश मोदी मौजा–अंगुठिया के टोला– संगाजोरी SPT Act 1949 की धारा 23 (I) के तहत् थाना नं0–06 जमाबन्दी नं0– 67, दाग सं0–868, रकवा–4.5 डी0 किस्म बाड़ी दोयम् भूमि का बदलेन से स्वीकृत प्राप्त की गयी है। उक्त भूमि का नामान्तरण वाद सं0–30/ 17–18 का नामान्तरण कराने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ राजस्व विविध वाद सं0– 48/ 16–17 दिनांक 19.07.2017 का आदेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया है। राजस्व विविध वाद सं0– 48/ 16–17 दिनांक 19.07.2017 का आदेश की प्रति की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 20-9-22 को उपस्थापित करें।

लेखापित।

अंचल अधिकारी
फतेहपुर

14/9/22
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

20.09.2022

अभिलेख उपस्थापित।

इस कार्यालय के नोटिस ज्ञापांक–329/ रा0 दिनांक 14.09.2022 के आलोक में श्री राजेश कुमार मोदी, पिता–स्व0 बनवारी लाल मोदी, ग्राम– फतेहपुर के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0– 48/ 16–17 दिनांक 19.07.2017 का आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

20/09/22
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

20/09/22
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

अंचल कार्यालय, फतेहपुर

नोटिस

ज्ञापांक 329 / रा0 दिनांक ... 14/09/2022

प्रेषित,

राजेश कुमार मोदी
पिता स्व0 वनवारी लाल मोदी
ग्राम – फतेहपुर।

विषय :– राजस्व विविध वाद सं0– 48 / 2016–17 दिनांक–19.07.2017 उपलब्ध कराने के संबंध में।

आपके द्वारा ऑनलाईन नामान्तरण वाद हेतु आवेदित भूमि मौजा– अंगूठिया न0–06 जमाबंदी नं0– 67, दाग नं0– 868, रकवा– 4.5 डी0 भूमि शिखर मराण्डी, ग्राम– अंगूठिया से SPT Act 1949 की धारा 23 के अन्तर्गत बदलैन से प्राप्त है। नामान्तरण वाद सं0– 30 / 17–18 संलग्न है।

राजस्व विविध वाद सं0– 48 / 16–17 दिनांक– 19.07.2017 का आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है।

नोटिस के माध्यम् से सूचित किया जाता है कि उक्त दस्तावेज विविध वाद सं0– 48 / 2016–17 अंचल कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाए ताकि ऑनलाईन नामान्तरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

मैंने आज ता0– 19-09-2022 को
सुबह 11 A.m. में अंचल
कार्यालय फतेहपुर में
अंचलाधिकारी के हाथ में
इनको द्वारा प्रति जमा कर दी है।
Rajesh Kumar modi
Date:- 19-09-2022
Time:- 02 P.m

अंचल कार्यालय
फतेहपुर

अंचल अधिकारी,
फतेहपुर।
14/09/22

F/Gautam Rev2022

31.10.12, 22.11.12, 22.11.12, 22

Copy of order.

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

(2)

अनुमण्डल पदाधिकारी का राजस्व न्यायालय, जामताड़ा।

रे0मि0 वाद सं0-...48./2016-17

शिखर मरांडीः- प्रथम पक्ष

-: बनाम :-

RCMSDAOFF2203823

16 आना रैयत मौजा-अंगुठिया :- द्वितीय पक्ष

आवेदक पक्ष से अधिवक्ताः- .... भुवन चन्द्र मण्डल

आदेश

19.7.17 अभिलेख प्रस्तुत।

प्रस्तुत वाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत बदलैन से संबंधित है।

आवेदक प्रथम शिखर मरांडी वो सुन्दर मरांडी, पिता-स्व0 फागु मरांडी, ग्राम-अंगुठिया, थाना-फतेहपुर, जिला-जामताड़ा द्वारा अपने रैयती जमाबंदी जमीन मौजा-अंगुठिया खाता संख्या-67, दाग संख्या-868, रकवा-4.5 डी0 किस्म जमीन बाड़ी ।। आवेदक द्वितीय राजेश कुमार मोदी, पिता-बनवारी लाला मोदी, ग्राम-फतेहपुर, थाना-फतेहपुर, जिला-जामताड़ा के जमाबंदी रैयती जमीन मौजा-फतेहपुर के खाता संख्या-84, दाग संख्या-1939, रकवा-4.5 डी0 जमीन के बदलैन करने हेतु संयुक्त रूप से आवेदन दाखिल किये गये है।

आवेदक के दाखिल आवेदन के आलोक में 16 आना रैयत मौजा-फतेहपुर एवं अंगुठिया को आपत्ति दाखिल करने हेतु निर्गत तामिला प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी, फतेहपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है।

अंचल अधिकारी, फतेहपुर के पत्रांक-335, दिनांक-11.04.17 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि बदलैन हेतु उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तावित जमीन उनके हिस्से की जमाबंदी जमीन है। दोनों पक्षों के बदलैन हेतु प्रस्तावित जमीन का रकवा मुल्य एवं श्रेणी एक समान है। दोनों पक्ष अपने स्वेच्छा

Pranay Kr. Dutta Stamp Vendor

CF 4

से अपने-अपने प्रस्तावित विषयगत जमीन का बदलैन करना चाहते हैं।

19.7.17

अंचल अधिकारी, फतेहपुर के द्वारा उभय पक्षों को अपने-अपने प्रस्तावित जमीन को बदलैन करने की स्वीकृति देने का अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, फतेहपुर से प्राप्त अनुशंसा सहित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को अपने आवेदित प्रश्नगत जमीन का बदलैन करने की स्वीकृति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत दी जाती है।

अंचल अधिकारी, फतेहपुर का जाँच प्रतिवेदन आदेश का अंश होगा।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही को बन्द किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

Seen 11/10/17

लेखापित एवं संशोधित।

19/7

अनुमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा।

19.7.17

अनुमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा।

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date: 2022.10.10 18:15:14 +05:30
Location: 192.168.100.100